

33/116
पंजी क्रमांक.....

विषय :-

न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.ए. क्र. 34/16 (एस) डा. डामन लाल
डा. रामलाल शर्मा विरुद्ध शासन

-00

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक / प्रमुख इन्च रिश्ता ज्वालिका
से प्राप्त त्यावालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.सी. 34 / 16 (एस) की माधिका
प्राप्त हुई है। प्राप्त य सं. 1/1/1980 से है।
2. प्रमाण सं. 1/1/1980 से प्राप्त सं. 1/1/1980 से है।
प्रामाणी अधिवक्ता सं. 1/1/1980 से है। कपरा अनुसोदन करना सं. 1/1/1980 से है।
सं. 1/1/1980 से है।

चाहें। A - पंथकी अधिकारी बनाये जानें हेतु
 स्वयं प्रति पर हस्ताक्षर
 करना चाहें।

आयुक्त / सचिव महोदय

वि.क.अ.(न्या.प्रकीर्ण)

शक्ति - अधिवक्ता/ ने पत्र दिनांक -
6/02/16 से Ad Qualifier की
ओर आवश्यक सर्वकारी लेटर भेजें।

8 वासी करी 15/03/16

जान 556,57,58/16

15/3/16

पृष्ठ क्र.

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

म. प्र. भोपाल
३३/६/७८
पञ्च कर्मायः

विषय :-

न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.ए. 34/16 (एस) 170 दि. 20/11/2016
[वका] विरुद्ध [अमान]

—00

सचिव मध्यप्रदेश शासन उ.शि. विभाग के आदेश क्रमांक 557-500

दिनांक 15-3-16 में अतिरिक्त संचालक/प्रकार्य उच्च शिक्षा
नवालिम चमकल संचालक/प्रकार्य को प्रभारी अधिकारी नियुक्त
किया जा चुका है।

_____ 24th

०६३ A प्रतिरक्षण हेतु १६५५ विधि विभाग
 श्री इंद्रिका कल्याण - ५६६ वि.क.अ.

आयुक्त / सचिव महोदय

८ विधि विभाग

समाकान्त समराय

सचिव / आयुक्त

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

R.N. 303
 IN 16 3/16
 G. 11

805

कार्यालय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर-चंबल संभाग
मोतीमहल परिसर, ग्वालियर (म.प्र.)

कमांक 5894 /क्षे.का./उशि/न्या.प्र./2016

ग्वालियर, दिनांक 24/2/2016

प्रति,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (विधि प्रकोष्ठ.)
कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन
सतपुड़ा भवन पंचमत्तल
भोपाल।

शासकीय प्रकरण

पंजीकृत आवक 2055
दिनांक 5/3/16

विषय :- न्यायालयीन प्रकरण कमांक डब्ल्यू.ए. 34/2016 डॉ.अयूब खान विरुद्ध म.प्र. शासन में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11.02.2016 के संबंध में।

सन्दर्भ:- प्राचार्य, शासकीय एम.एल.बी. महाविद्यालय, ग्वालियर का पत्र कमांक 178 दिनांक 12.02.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत न्यायालयीन प्रकरण कमांक डब्ल्यू.ए. 34/2016 डॉ.अयूब खान विरुद्ध म.प्र. शासन प्राध्यापक समाजशास्त्र शासकीय एम.एल.बी. महाविद्यालय, ग्वालियर विरुद्ध म.प्र. शासन में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11.02.2016 की प्रति प्राचार्य के संदर्भित पत्र की प्रति सहित पत्र के साथ संलग्न कर आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

उक्त रिट अपील की याचिका की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है। कृपया प्रकरण में प्रकरण प्रभारी अधिकारी नियुक्त करवाने का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में माननीय न्यायालय में जबाबदावा प्रस्तुत किया जा सकें।

संलग्न:- संदर्भित पत्र की प्रति अंतरिम आदेश की प्रति,
एवं याचिका की प्रति।

(डॉ.के.एस.संगर)

प्रभारी अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा ग्वालियर चंबल संभाग
ग्वालियर (म.प्र.)

ग्वालियर, दिनांक / / 2016

पृ कमांक /क्षे.का./उशि/न्या.प्र./2016
प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, राजपत्रित स्थापना शाखा-2, कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- संलग्न:- संदर्भित पत्र की प्रति एवं अंतरिम आदेश की प्रति।

(डॉ.के.एस.संगर)

प्रभारी अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा ग्वालियर चंबल संभाग
ग्वालियर (म.प्र.)

क्रमांक 178/2015

ग्वालियर दिनांक 12.02.2016

प्रति,

आयुक्त

उच्चशिक्षा, म.प्र. शासन

सतपुड़ा भवन, 5वीं मंजिल

भोपाल

विषय : डा अयूब खान, प्राध्यापक समाजशास्त्र के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने बावत।

संदर्भ : माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर के स्थगन आदेश क्र. डब्ल्यू.ए. 34/2016 दिनांक 11.02.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डा अयूब खान, प्राध्यापक समाजशास्त्र का स्थानांतरण शासकीय महाविद्यालय, पिछोर जिला शिवपुरी हुआ था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा स्थगन आदेश क्र. डब्ल्यू.ए. 34/2016 दिनांक 11.02.16 के परिपालन में डा अयूब खान ने दिनांक 12.02.2016 के पूर्वान्ह में इस महाविद्यालय में प्राध्यापक समाजशास्त्र के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

सूचनार्थ जानकारी प्रेषित है।

PRINCIPAL

M.L.B. Govt. College Of Excellence

Gwalior (M.P.)

प्राचार्य

ग्वालियर, दिनांक 12.02.2016

पृष्ठ ()/2016

प्रति-
1. अतिरिक्त संचालक, उच्चशिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, 5वीं मंजिल, भोपाल

2. अतिरिक्त संचालक, उच्चशिक्षा, ग्वालियर-चम्बल संभाग, मोतीमहल परिसर, ग्वालियर

3. प्राचार्य, शासकीय आदर्श विज्ञान, महाविद्यालय, रीवा

4. कोषालय अधिकारी जिला ग्वालियर, गोरखी, ग्वालियर

5. लेखापाल, महारानी लक्ष्मी बाई शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय, ग्वालियर

6. स्थापना, महारानी लक्ष्मी बाई शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय, ग्वालियर

7. संबंधित अधिकारी.....

PRINCIPAL

M.L.B. Govt. College Of Excellence

Gwalior (M.P.)

(1) 3

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT GWALIOR

5192
16
Express Delivery

Writ Appeal No. 34 / 2016

APPELLANT : Ayub Khan S/o Shri Barkat Khan,
Aged 49 years, R/o 404, South
Avenue, Pearl Residency, Gandhi
Road, Gwalior (M.P.)

-Versus-

- RESPONDENTS :**
1. State of M.P. through the Principal Secretary, Higher Education Department, Govt. of M.P., Vallabh Bhawan, Bhopal.
 2. The Commissioner, Higher Education, Govt. of M.P., Satpura Bhawan, Bhopal (M.P.)
 3. Principal, MLB Government College of Excellence, Gwalior.
- 8.2.16
Pawan Dutt
(2)

WRIT APPEAL UNDER SECTION 2 OF THE MADHYA PRADESH (UCHCHA NYALAYA KI KHAND PEETH KO APPEAL) ADHINIYAM 2005 AGAINST THE ORDER DATED 4.2.2016 PASSED BY THE HON'BLE SINGLE JUDGE (SHRI JUSTICE ROHIT ARYA JJ) IN W.P.NO 831/2016.

May it please this Hon'ble Court;

The appellant humbly submits the memo of appeal as under:-

1. That, the appellant has filed this appeal against the order dated 4.2.2016 passed by the Hon'ble Single Judge of this Court, whereby the writ petition as filed by the appellant against the order of his transfer has been dismissed by the Hon'ble Single Judge.

ANNEXURE-C
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

CASE No. OF 20

ORDER SHEET (Continuation)



Date & S. No.
of the order

Order

W.A.No.34/2016


11.02.2016

Shri Pawan Dwivedi, learned counsel for the appellant.


Shri R.B.S. Tomar, learned Government Advocate for the respondents/State.

In the course of the argument on admission, on asking the State counsel that how many students have taken the subject of sociology in the transferred place of the present petitioner i.e. Pichore, District Shivpuri and how many students are in the MLB College, Gwalior in which the appellant was working since 2012, on which the State counsel submits that impugned order has been passed without filing any return on behalf of the State, hence, he be extended a period to file reply in the matter so he may response all the objection on the ground taken by the petitioner in the writ Court including the objections relating to the non-consideration of his representation.

Considering the aforesaid prayer, State counsel is extended a period of 15 days to file response in the matter. He is also directed to file reply of I.A.No.856/2016, appellant's application for grant of stay against the



ANNEXURE-C
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH



CASE No. OF 2016

ORDER SHEET (Continuation)

Date & S. No.
of the order

Order

2

W.A.No.34/2016

operation and execution of the order dated 15.06.2015 (Annexure P-10) with the writ petition passed by respondent No.2.

Let this matter be placed under the same head in the week commencing 14.03.2016.

As an interim measure, till the next date of hearing the operation of the impugned order of the writ Court as well as aforesaid order dated 15.06.2015 (Annexure P-10) are hereby stayed.

(U.C. Maheshwari)
Judge

(Sushil Kumar Gupta)
Judge

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY

Section Officer
Madhya Pradesh High Court
Chandigarh Branch, Chandigarh
Certified to be a true copy of the original

Checked & Found Correct
11/2/16

- 1) Application received on 11/2/16
- 2) Applicant told to appear on 16/2/16
- 3) Applicant appeared on 11/2/16
- 4) Issue (Writ or without further direct parties subject) was heard keeper / Booking Party on 11/2/16
- 5) Application for stay of order and for setting aside the order of the Court was heard on 11/2/16
- 6) Issue (Writ or without further direct parties subject) was heard on 11/2/16
- 7) Issue (Writ or without further direct parties subject) was heard on 11/2/16
- 8) Issue (Writ or without further direct parties subject) was heard on 11/2/16
- 9) Issue (Writ or without further direct parties subject) was heard on 11/2/16
- 10) Issue (Writ or without further direct parties subject) was heard on 11/2/16
- 11) Court for ...



3

0751-2230360 Office/Fax
0751-2230269 Office

कार्यालय महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,
सिटीसेंटर, ग्वालियर
OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL,
MADHYA PRADESH, HIGH COURT
GWALIOR

1105/15-2-16 Dated

To,

1. The Principal Secretary
Higher Education Department
Vallabh Bhawan, Bhopal.
- 2) The Commissioner,
Higher Education
Satpura Bhawan Bhopal.
- 3) The Principal
MLB Govt. College
of Excellence, Gwalior.

Sub:- : In the matter No. WA No. 34/2016- Ayub Khan Versus State of
MP and others.

Present appeal has been filed by the appellant against the order dt. 4-
2-2016 passed in WPNo. 831/2016 which was filed by the appellant against
the order dt. 29-1-2016 by which representation filed by the appellant has
been rejected. In the writ appeal the Hon'ble court has directed to file reply
while passing the interim order on 11-2-2016.

The Hon'ble court has fixed the matter on 14-3-2016 therefore you are
requested to send responsible officer /OIC , so that reply as well as
application for vacating stay may be filed in the present matter. Needful be
done immediately.

Inter 4006
210 Putup
14/3/16

15.2.16
(R.B.S. Tomar)
Govt. Advocate.

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालनालय
सतपुड़ा-भवन, भोपाल

क्रमांक 556/331/न्या.प्र/2016
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15-3-16

अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, ग्वालियर-चम्बल संभाग,
ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

विषय:-न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.ए. 34/2016 डॉ० अयूब खान विरुद्ध
मध्यप्रदेश शासन।

-0-

विषयांकित प्रकरण में श्री आर.बी. एस. शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय,
ग्वालियर से प्राप्त पत्र क्रमांक 1105, दिनांक 16.02.2016 की प्रति संलग्न कर आपकी
ओर प्रेषित है। विषयांकित प्रकरण में आप प्रकरण प्रभारी है। अतः तत्काल शासकीय
अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण में जवाबदावा दायर करवाकर, की गई कार्यवाही से
इस कार्यालय को अवगत कराये।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार

15/03/16
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (न्या०)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश



3

0751-2230360 Office/Fax
0751-2230269 Office

कार्यालय महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
सिटीसेंटर, ग्वालियर
OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL,
MADHYA PRADESH, HIGH COURT
GWALIOR

To,


1. The Principal Secretary
Higher Education Department
Vallabh Bhawan, Bhopal.
- 2) The Commissioner,
Higher Education
Satpura Bhawan Bhopal.
- 3) The Principal
MLB Govt. College
of Excellence, Gwalior.

1105/15-2-16 Dated

Sub:- : In the matter No. WA No. 34/2016- Ayub Khan Versus State of MP and others.

Present appeal has been filed by the appellant against the order dt. 4-2-2016 passed in WPNo. 831/2016 which was filed by the appellant against the order dt. 29-1-2016 by which representation filed by the appellant has been rejected. In the writ appeal the Hon'ble court has directed to file reply while passing the interim order on 11-2-2016.

The Hon'ble court has fixed the matter on 14-3-2016 therefore you are requested to send responsible officer /OIC , so that reply as well as application for vacating stay may be filed in the present matter. Needful be done immediately.


(R.B.S. Tomar)
Govt. Advocate.

Intd 4/2/16
O.S.D. Putub
153

21
14/03/16

M

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 552/331 / म.प्र. 2016 15/3/16
सिविल प्रक्रिया संहिता 1990 (1908 का अधिकतम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस नियम-1 तथा
-1 अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए
शिक्षा उपायिका को याचिका क्रमांक 500 ए 0 34/2016
(पक्षकारों के नाम) डा० कामूर (मान फिरो शास्त्री)

के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तांक पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप संज्ञात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति तुरन्त पश्चात् वादों में ऐसी स्थिति में जिसके व्यौर नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1/ प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा की आवश्यकता हो, और याचिका में उठाये गये ससस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि मामले के संचालन में विधिक/शासकीय अभिभावक को सहायता पहुँचेगी, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

2/ समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।

3/ उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।

4/ शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित/कथन उत्तर तैयार करवाएगा।

5/ महत्वपूर्ण/नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित/कथन या उत्तर विभागीय/प्रशासकीय अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगा:-

1/ वाद/पत्र की एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका।

2/ प्रस्तावित लिखित कथन का प्रारूप।

3/ उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

4/ मामले विशदीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में वाद की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।

6/ मामले की तैयारी और संचालन में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले के प्रक्रम और संबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अवगत रखेगा।

7/ जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा।

8/ अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही करने के लिये इस विभाग को भेजेगा।

9/ यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय देने करने और उसकी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हो।

10/ जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद भार देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है।

11/ प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव मदद/सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि वाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावेज अप्रकटित नहीं रह जाये।

12/ महत्वपूर्ण/नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

13/ जिन प्रकरणों में माननीय मुख्य सचिव, को पक्षकार बनाया गया है, ऐसे मामलों में माननीय मुख्य सचिव, का नाम विलोपित करने हेतु न्यायालय के समक्ष शीघ्रातिशीघ्र आवेदन दायर कर विलोपित करवाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15/3/16

पृ० क्र० 552/331 उशिवि/मंत्रालय/न्याय/16
प्रतिलिपि:-

1/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय म० प्र० जलपुर/इन्दौर/गालियर संभाग म.प्र. की ओर।

2/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग विध्यालय भवन भोपाल

3/ संबंधित जिलाध्यक्ष, म० प्र० जलपुर/इन्दौर/गालियर संभाग म.प्र. की ओर।

4/ प्रभारी अधिकारी को अर्द्ध शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्ति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक मेट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आ. की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजना चाहिये वाद पत्र की प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये, मामले की सुनवाई की तारीख की सुनवाई हेतु नियत की गई थी/है।

5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, भोपाल